जनपद कौशाम्बी दिनांक 19–22 सितंबर, 2017 तक सी0आर0एम0 हेतु सहयोगात्मक पर्यवेक्षण

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम. एण्ड ई./2016–17/13/6152–6 (13) दिनॉक 15.09.2017 के क्रम में दिनांक 19.09.2017 से 22.09.2017 को राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई से जनपद कौशाम्बी की टीम सं0–03 द्वारा कॉमन रिव्यू मिशन को दृष्टिगत रखते हुये आवंटित ब्लाक कड़ा, मूरतगंज एवं नवादा स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण किया गया तथा स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों का सहयोगात्मक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया गया। टीम के सदस्यों का विवरण निम्नवत् हैं–

1. डा0 पी0के0 श्रीवास्तव, उपमहाप्रबन्धक, ई0एम0टी0एस0 ।
2. श्री अभय द्विवेदी, तकनीकी सलाहकार, एन0पी0सी0बी0, एन0सी0डी0।
3. श्री आदेश शर्मा, कार्यक्रम समन्वयक, एस0पी0एम0यू0 ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मूरतगंज

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुर्तजागंज में स्ट्रैचर व व्हील चेयर मुख्य द्वार पर न होकर अन्यत्र रखे हुये थे जिनको तत्काल मुख्य द्वार पर रखवाया गया।
- लेबर रूम के लिये ऐरो मार्किंग नहीं की गयी थी जिसे करवाने हेतु सुझाव दिया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को भोजन मानकों के अनुरूप नही प्रदान किया जा रहा है।
- वार्ड में आई.ई.सी. उचित व्यवस्था में प्रर्दशित नहीं थी जिस हेतु निर्देशित किया गया कि पूरे परिसर में यथास्थान समुचित मानकों के आधार पर आई.ई.सी. करवाना सुनिश्चित करें।
- कलर कोड डस्टबिन नहीं थी एवं वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी जिसको टीम द्वारा भण्डार से मंगवाकर व्यवस्था सुनिश्चित की गयी
- रोगी कल्याण समिति के बैठक रजिस्टर, बिल बाउचर आदि राज्य द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उपलब्ध नहीं पाये गये एवं इकाई द्वारा अपने व्यक्तिगत रजिस्टरों पर कार्यवाही की जा रही थी।
- लेबर रूम में कैलिस पैड में हवा नहीं भरी जाने का प्रचलन है, जिसे भरने हेतु निर्देशित किया गया एवं इमरजेन्सी ट्रे में RANITIDINE इन्जेक्शन दिनांक 05/2017 को इक्पाइरी पाया गया जिसे लेबर रूम एवं भण्डार से तत्काल हटवाया गया।
- जे0एस0वाई0 प्रसूता लाभार्थी के कक्ष में हवा के आवागमन के उचित साधन न हो पाने के कारण घुटन होती है, जिसके लिये एक्जाकश पखा लगाने की सलाह दी गयी।
- प्रागंण में जैविक अपशिष्ट को खुले में फेका व जलाया जाते पाया गया।
- B.M.W. मे अनुबन्धित संस्था द्वारा माह मे अधिकतम 4–5 बार ही वेस्ट डिस्पोसल वाहन चिकित्सालय मे आती है। जिसे मु0चि0अ0 कौशाम्बी को भी अवगत कराया गया।
- चिकित्सालय मे बिजली बोर्ड मे वायर खुले पड़े हैं एवम् प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की उचित व्यवस्था नही पाई गयी जिसे पूरा करने के लिए कहा गया।
- चिकित्सालय में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ ड्रेस कोड में नहीं रहता है। इससे अधीक्षक को अवगत कराया गया है।
- समीक्षा बैठक में पाया गया कि ब्लाक स्तरीय कर्मियों में एन0एच0एम0 के कार्यक्रम सम्बन्धित जानकारी का अभाव है तथा निर्देश दिये गये कि डी0पी0एम0यू0 कार्यालय में बी0पी0एम0यू0 इकाई से सम्बन्धित लोगो को एक–एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

- ग्लब्स को धुल कर पुनः उपयोग किया जा रहा था जिसके लिये टीम द्वारा सम्बन्धित स्टाफ को निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा इस प्रकार की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी तथा बेबी वार्मर खराब पाया गया जिसको तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिये गये।

- आई0ई0सी0 के प्रोटोकॉल में चिकित्सालय के अन्दर एंव बाहर कार्यक्रम से सम्बन्धित आई0ई0सी0 संतोषजनक नही है।
- आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, किन्तु टीम को सन् 2013 में जनपद द्वारा लॉजिटिक्स उपलब्ध करायी गयी थी। नोडल आर0बी0एस0के0 अधिकारी को वांछित लॉजिटिक्स उपलब्ध कराने के लिये अवगत कराया गया।
- गम्भीर रक्ताल्पता वाली महिलाओं की लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही है।
- आर0बी0एस0के0 टीम के पास विप्स कार्ड उपलब्ध नहीं पाये गये नोडल आर0बी0एस0के0 अधिकारी को वांछित विप्स उपलब्ध कराने के लिये अवगत कराया गया।
- सिटीजन चार्टर का डिस्प्ले नहीं किया पाया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभों को डिस्प्ले नहीं किया गया है।
- Immunization Schedule का डिस्प्ले नहीं किया गया है।
- इकाई पर जे0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन पंजीका मानको के अनुसार प्राप्त नहीं हुयी, जिसे उपलब्ध कराने के लिये जनपद मुख्यालय को अवगत कराया गया।
- आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक आशा इकाई प्रकोष्ठ, आशा इकाई पेटिका, आशा भुगतान पंजीका आदि के बारे में अवगत कराते हुये व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया।
- दवा वितरण हेतु सामान्य पर्ची का उपयोग किया जा रहा था जिस पर सुझाव दिया गया कि चिकित्सालय के नाम सहित पर्ची को प्रिन्ट कराया जाये।
- इकाई पर अधीक्षक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ए0आर0ओ0, आर0बी0एस0के0 के सदस्य, महिला चिकित्सक, स्टार्फ नर्स, स्वास्थ्य अधिकारी, ए0एन0एम0, बी0पी0एम0यू0 यूनिट तथा अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के कर्मियों आदि के मध्य दिनांक 03/10/2017 तक स्वास्थ्य इकाई में निर्धारित किये गये कार्यो को पूरा करने के लिये लिखित जिम्मेदारी प्रदान की गयी।

  उपरोक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा अधीक्षक महोदय को सुधार किये/कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कड़ा</u>

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को भोजन मानकों के अनुरूप नही प्रदान किया जा रहा है।
- वार्ड में आई.ई.सी. उचित व्यवस्था में प्रर्दशित नहीं थी जिस हेतु निर्देशित किया गया कि पूरे परिसर में यथास्थान समुचित मानकों के आधार पर आई.ई.सी. करवाना सुनिश्चित करें।

- कलर कोड डस्टबिन नहीं थी एवं वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी जिसको टीम द्वारा भण्डार से मंगवाकर व्यवस्था सुनिश्चित की गयी।
- ब्लाक लेखा प्रबन्धक द्वारा समस्त कार्य अपने गृह जनपथ इलाहाबाद से किये जा रहे व वित्त से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अपने गृह जनपद पर रखे गये है।
- स्वास्थ्य इकाई पर इन्टरनेट व्यवस्था नहीं पायी गयी है जिसे तत्काल सही कराने कराने के लिये निर्देश दिये गये है।
- इकाई पर जे0एस0वाई0 लाभार्थी भुगतान एवं एक सप्ताह पूर्व नवजात शिशु की प्रस्सव के समय मृत्यु होने के कारण जनसामान्य द्वारा टीम के सदस्यों के समक्ष अपना विरोध व्यक्त किया, जिसका

निराकरण करते हुये उक्त स्थिति से मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी को तत्काल अवगत कराया गया।

- भण्डार कक्ष का ताला खुलवाकर निरीक्षण करने पर पाया गया कि भण्डार कक्ष में भण्डार सूची के आधार पर भण्डार अव्यवस्थित पाया गया, जिसके लिये भण्डार में रक्षित एवं खराब उपकरण आदि को सूचीबद्ध कर, व्यवस्थित ढ़ग से रखने की जिम्मेदारी दी गयी।
- रोगी कल्याण समिति के बैठक रजिस्टर, बिल बाउचर आदि राज्य द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उपलब्ध नहीं पाये गये एवं इकाई द्वारा अपने व्यक्तिगत रजिस्टरों पर कार्यवाही की जा रही थी।
- B.M.W. मे अनुबन्धित संस्था द्वारा माह मे अधिकतम 4–5 बार ही वेस्ट डिस्पोसल वाहन चिकित्सालय मे आती है। जिसे मु0चि0अ0 कौशाम्बी को भी अवगत कराया गया।
- चिकित्सालय में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ ड्रेस कोड में नहीं रहता है। इससे अधीक्षक को अवगत कराया गया है।
- आई0ई0सी0 के प्रोटोकॉल में चिकित्सालय के अन्दर एंव बाहर कार्यक्रम से सम्बन्धित आई0ई0सी0 संतोषजनक नही है।
- गम्भीर रक्ताल्पता वाली महिलाओं की लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही है।
- आर0बी0एस0के0 टीम के पास विप्स कार्ड उपलब्ध नहीं पाये गये नोडल आर0बी0एस0के0 अधिकारी को वांछित विप्स उपलब्ध कराने के लिये अवगत कराया गया।
- सिटीजन चार्टर का डिस्प्ले नहीं किया पाया गया।
- Immunization Schedule का डिस्प्ले नहीं किया गया है।
- इकाई पर जे0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन पंजीका मानको के अनुसार प्राप्त नहीं हुयी, जिसे उपलब्ध कराने के लिये जनपद मुख्यालय को अवगत कराया गया।
- आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक आशा इकाई प्रकोष्ठ, आशा इकाई पेटिका, आशा भुगतान पंजीका आदि के बारे में अवगत कराते हुये व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया।
- दवा वितरण हेतु सामान्य पर्ची का उपयोग किया जा रहा था जिस पर सुझाव दिया गया कि चिकित्सालय के नाम सहित पर्ची को प्रिन्ट कराया जाये।
- इकाई पर अधीक्षक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ए0आर0ओ0, आर0बी0एस0के0 के सदस्य, महिला चिकित्सक, स्टार्फ नर्स, स्वास्थ्य अधिकारी, ए0एन0एम0, बी0पी0एम0यू0 यूनिट तथा अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के कर्मियों आदि के मध्य दिनांक 30/09/2017 तक स्वास्थ्य इकाई में निर्धारित किये गये कार्यो को पूरा करने के लिये लिखित जिम्मेदारी प्रदान की गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा अधीक्षक महोदय को सुधार किये/कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

<u>प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, नवादा</u>

- स्वास्थ्य इकाई में जगह–जगह जल बहाव पाया गया, जिसके लिये टाइल इटरलॉक को खुलवाकर उसको ऊँचा करने के लिये निर्देश दिये गये।
- आई0एल0आर0 एवं डीफ्रिजर में पृथक–पृथक रूप से स्टेपलाईजर उपलब्ध नहीं पाया गया एवं एक आई0एल0आर0 खराब अवस्था में पाया गया।
- प्रभारी कक्ष के पीछे आशा FAQ रखी पायी गयी, प्रभारी चिकित्साधिकारी को एक सप्ताह के भीतर समस्त आशाओं को वितरण करने के निर्देश दियें गये।
- परिवार नियोजन एवं किशोरा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत काउन्सलर की आई0पी0सी0 क्षमता बढ़ाने के लिये हेन्ड होल्डिंग की गयी।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को भोजन मानकों के अनुरूप नही प्रदान किया जा रहा है।
- वार्ड में आई.ई.सी. उचित व्यवस्था में प्रर्दशित नहीं थी जिस हेतु निर्देशित किया गया कि पूरे परिसर में यथास्थान समुचित मानकों के आधार पर आई.ई.सी. करवाना सुनिश्चित करें।
- कलर कोड डस्टबिन नहीं थी एवं वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी जिसको टीम द्वारा भण्डार से मंगवाकर व्यवस्था सुनिश्चित की गयी
- रोगी कल्याण समिति के बैठक रजिस्टर, बिल बाउचर आदि राज्य द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उपलब्ध नहीं पाये गये एवं इकाई द्वारा अपने व्यक्तिगत रजिस्टरों पर कार्यवाही की जा रही थी।
- B.M.W. मे अनुबन्धित संस्था द्वारा माह मे अधिकतम 4–5 बार ही वेस्ट डिस्पोसल वाहन चिकित्सालय मे आती है। जिसे मु0चि0अ0 कौशाम्बी को भी अवगत कराया गया।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रांगण में ग्रीन गार्डिनिंग सतोषजनक पायी गयी।
- चिकित्सालय में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ ड्रेस कोड में नहीं रहता है। इससे अधीक्षक को अवगत कराया गया है।
- गम्भीर रक्ताल्पता वाली महिलाओं की लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही है।
- आर0बी0एस0के0 टीम के पास विप्स कार्ड उपलब्ध नहीं पाये गये नोडल आर0बी0एस0के0 अधिकारी को वांछित विप्स उपलब्ध कराने के लिये अवगत कराया गया।
- सिटीजन चार्टर का डिस्प्ले नहीं किया पाया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभों को डिस्प्ले नहीं किया गया है।
- Immunization Schedule का डिस्प्ले नहीं किया गया है।
- इकाई पर जे0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन पंजीका मानको के अनुसार प्राप्त नहीं हुयी, जिसे उपलब्ध कराने के लिये जनपद मुख्यालय को अवगत कराया गया।
- आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक आशा इकाई प्रकोष्ठ, आशा इकाई पेटिका, आशा भुगतान पंजीका आदि के बारे में अवगत कराते हुये व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया।
- इकाई पर अधीक्षक, ए0आर0ओ0, आर0बी0एस0के0 के सदस्य, महिला चिकित्सक, स्टार्फ नर्स, स्वास्थ्य अधिकारी, ए0एन0एम0, बी0पी0एम0यू0 यूनिट तथा अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के कर्मियों आदि के मध्य दिनांक 05/10/2017 तक स्वास्थ्य इकाई में निर्धारित किये गये कार्यो को पूरा करने के लिये लिखित जिम्मेदारी प्रदान की गयी।

  उपरोक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा अधीक्षक महोदय को सुधार किये/कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

<u>जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में टीम द्वारा सहयोगात्मक निरीक्षण के मुख्य बिन्दु ,</u>

- जनपद में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 की डैप ब्लाक इकाईयों को उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसे दिनांक 23/09/2017 तक जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित इकाईयों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गयी।
- जनपद में EDL का डिस्प्ले नहीं किया गया था एवं टीम द्वारा निर्देशित किया गया EDL का डिस्प्ले प्रतिदिन किया जायेगा।

- एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा आई0ई0सी0 हेतु उपलब्ध करायी गयी समस्त मानकीय सूचनाओं का मुद्रण कराकर प्रत्येक इकाई के सेवा पटलों पर उनका प्रदर्शन दिनांक 05/10/2017 तक किये जाने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं नोडल, एन0एच0एम0 को सुनिश्चित की गयी।
- जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया कि क्रमशः स्वास्थ्य इकाईयों पर जनपद के अन्य विभागों जैसे वन विभाग, डूडा एवं डी0पी0आर0.ओ0 के सहयोग से स्वास्थ्य इकाईयों पर पौधारोपण, सम्पर्क मार्ग का सुधार एवं शौचालय आदि की व्यवस्था को किया जाने का अनुरोध किया गया, जिसकों जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराये जाने के लिये आश्वस्त किया गया।
- जनपद में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 31 मार्च को कमिटेंड करायी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय सतोषजनक नहीं पाया गया, जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुये व्यय सुनिश्चित किये जाने के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य इकाईयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
- 102 एवं 108 के अभिलेखों के रख–रखाव के सुदृढीकरण संबंधी शासनादेश संख्या–1264/पॉच–1–2017–5(57)/16 चिकित्सा अनुभाग–1 दिनांकः 14.06.2017 को निर्गत किया गया।
- शासनादेश के अनुसार प्रत्येक चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा 102 अथवा 108 एम्बुलेंस सेवा से लाये गये रोगी को रिसीव किये जाने हेतु चिकित्सा इकाई में उपलब्ध मानव संसाधन में से पर्याप्त संख्या में रिपोर्टिंग अधिकारी/कर्मचारी नामित किया तथा 102 एम्बुलेंस सेवा हेतु 2 रजिस्टर (1 होम टू हास्पिटल/हास्पिटल टू हास्पिटल रजिस्टर एवं 1 ड्राप बैक रजिस्टर) तथा 108 एम्बुलेंस सेवा हेतु 1 रजिस्टर (होम टू हास्पिटल/हास्पिटल टू हास्पिटल रजिस्टर) पर प्रारुप के अनुसार सूचनाएं अंकित किया जाना आवश्यक है। यह कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है।
- शासनादेश दिनांकः 14.06.2017 का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाना आवश्यक है।
- उपकरणों, कन्ज्युमेबिल्स, औषधियों आदि की उपलब्धता हेतु प्रत्येक चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा एम्बुलेंस वाहनों का भौतिक निरीक्षण नहीं कराया जा रहा है। नियमित निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।
- जनपद स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठकों में सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि को भी अनिवार्य रूप से बुलाया जाये एवं उनके द्वारा की जाने वाली सुधारात्मक कार्यवाइयों की गहन समीक्षा की जाय।
- जनपद में एम0डी0आर0 की बैठक नहीं की जा रही है। जिसे पूरा करने के लिये निर्देश दिये गये।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दिन सायं 7 से 8 जनपद स्तर पर सी0आर0एम0 के भ्रमण को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक दिन जनपद स्तर पर समस्त जनपद/ब्लाक चिकित्सक एवं अधिकारियों की आपेक्षित कार्यप्रगति पर समीक्षा आयोजित की जायेगी तथा जनपद कौशाम्बी सी0आर0एम0 के नाम एक वाट्सअप ग्रुप को बनाने के निद्रेश दिये गये, जिससे ससमय गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य इकाईयों को आई0पी0एच0एस0 सुसज्जित किया जा सकें।

(आदेश शर्मा)	(अभय द्विवेदी)	(डा0 पी0के0 श्रीवास्तव)
(कार्य0 समन्वयक–एस0पी0एम0यू0)	(तक0 सलाहकार, एन0सी0डी0)	(उपमहाप्रबन्धक, ई0एम0टी0एस0)